सेवा में,

श्रीमान् थानाध्यक्ष,
थाना कोतवाली, उन्नाव।

WWW.LIVELAW.IN

विषय :– बार एसोसिएशन, उन्नाव के अध्यक्ष, महामंत्री तथा अन्य करीब 150–200 अधिवक्तागण द्वारा मारपीट व गाली–गलौज किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

महोदय को अवगत कराना है कि आज प्रातः 11:00–11:15 बजे जब मैं अपने न्यायालय में डायस पर बैठा था उसी वक्त बार एसोसिशन, उन्नाव के अध्यक्ष श्री रामशंकर सिंह यादव, महामंत्री श्री जितेन्द्र सिंह, पूर्व बार अध्यक्ष श्री सतीश शुक्ला, पूर्व बार अध्यक्ष श्री गिरीश मिश्रा, श्री विनोद पाठक, पूर्व शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के साथ अन्य अधिवक्तागण श्री सुरेश तिवारी, श्री हरसिंह बहादुर, श्री महेन्द्र बहादुर सिंह, श्री गुलाब सिंह, श्री बृजेन्द्र शुक्ला, श्री धर्मेन्द्र कुमार त्रिवेदी, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री हिमांशु द्विवेदी, श्री विनय मोहन, श्री प्रेम शंकर शुक्ला, श्री दीप नरायन, श्री कृष्णपाल सिंह, श्री अशोक कुमार शुक्ला, श्री रामप्रताप लोधी, श्री रामसुमेर यादव, श्री ओमप्रकाश अवस्थी, श्री चन्दन, श्री अजय द्विवेदी, श्री रूपनरायन सिंह, श्री जितेन्द्र शर्मा, श्री अनिल कुमार राजपूत, श्री योगेन्द्र कुमार सिंह, श्री शिवशंकर निषाद, श्री पी0के0 दीक्षित, श्री आफताब अहमद तथा लगभग 150–200 अन्य अधिवक्तागण मेरे न्यायालय में शोर शराबा व नारे लगाते हुए घुस आये तथा न्यायालय की कुर्सी व मेज इधर–उधर फेंकने लगे व डायस की मेज जोर–जोर से ठोकने लगे और मुझे गन्दी–गन्दी मां–बहन की गालियां देने लगे। अध्यक्ष श्री रामशंकर सिंह यादव, श्री सुरेश तिवारी, श्री हरसिंह बहादुर, श्री चन्दन तथा अन्य कुछ अधिवक्तागण डायस पर ऊपर चढ़ आये और जब मैंने अपने चैम्बर में जाने का प्रयास किया तो इन लोगों ने मुझे घेर लिया और मेरे साथ थप्पड़, लात–घूसों से मारपीट व धक्का–मुक्की किया तथा मेरा मोबाईल फोन भी छीन लिया और मुझे मारपीट कर गन्दी–2 मां–बहन की गालियां देते रहे। मुझे न्यायालय में उपस्थित मेरे कर्मचारीगणों ने छुड़ाया। साथ ही मुझे न्यायालय कक्ष से सटी गैलरी तक दौड़ाया और मेरे चैम्बर में तथा मेरे स्टेनो के चैम्बर में भी तोड़–फोड़ की तथा खिड़की के शीशे आदि तोड़ डाले।

अतः महोदय से अपेक्षा है कि उपरोक्त प्रकरण में अविलम्ब एफ0आई0आर0 दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करें।

दि0–25.03.2021

भवदीय

25/03/2021

(प्रहलाद टण्डन)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–11 /
विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो ऐक्ट, उन्नाव।